



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श10)
(सं० पटना 415) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
17 मई 2023

एस० ओ० 133 दिनांक 17 मई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-10** में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम का 500 रुपये से अधिक्य में अधित्यजन करते हैं।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12) 1583)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 मई 2023

एस० ओ० 133, दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12) 1583)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th May 2023

S.O. 133, Dated 17th May 2023—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the Act, which is in excess of five hundred rupees for the registered persons who fail to furnish the final return in **FORM GSTR-10** by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1583)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 415-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>